संख्या–622 जेड/6–सा–1–13–4जी/2013

प्रेषक,

अखिलेश चन्द्र गुप्ता,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मंत्री,
उ0प्र0 स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान,
दरबारी लाल शर्मा मार्ग, लखनऊ।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 15 अप्रैल, 2013

विषय :वित्तीय वर्ष 2013–14 में मंत्री उ0प्र0 स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ के कार्यालय अधिष्ठान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ के कार्यालय अधिष्ठान हेतु श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये आय–व्ययक में प्रावधानित कुल रू0 26,18,000/–(रू0 छब्बीस लाख अठ्ठारह हजार मात्र) के सापेक्ष धनराशि **रू0 24,53,000/– (रू0 चौबीस लाख तिरपन हजार मात्र)** आपके निस्तारण पर रखे जाने एवं तदनुसार निम्नलिखित मदों पर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

लेखा शीर्षक/मद	प्राविधानित धनराशि (हजार रूपये में)	स्वीकृत धनराशि (हजार रूपये में)
अनुदान संख्या–28–		
2251–सचिवालय–सामाजिक सेवायें–आयोजनेत्तर		
200–अन्य योजनायें–		
04–उ0प्र0 स्व0 सं0 से0 सहायता संस्थान–		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	330	165
31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)	2288	2288
		(रू0 चौबीस लाख तिरपन हजार मात्र)

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय समस्त वित्तीय नियमों एवं स्थायी आदेशों के अनुसार किया जोयगा। धनराशि के प्रदेशन मात्र से ही व्यय करने का अधिकार नहीं हो जाता, जहॉ सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो, व्यय करने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली जाये। वर्तमान स्थिति में शासन के व्यय में मितव्ययिता नितांत आवश्यक है।

क्रमशः–2

अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी किये गये और जो भविष्य में जारी हों, शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाये। मुझे यह भी कहना है कि एक मद में स्वीकृत धनराशि शासन की बिना पूर्व अनुमति के दूसरी मदों में व्यय न की जाये।

3– वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्कतानुसार धनराशि का कोषागार से किश्तों में आहरण सुनिश्चित किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्यय के अनुदान संख्या–28 के लेखा शीर्षक "2251–सचिवालय–सामाजिक सेवायें आयोजनेत्तर–200–अन्य योजनायें–04–उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सहायता संस्थान के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–दी 1 640 दस–2013–231/2013, दिनांक–28 मार्च, 2013 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अखिलेश चन्द्र गुप्ता)
उप सचिव।

संख्या– 622 (1)जेड/6–सा–1–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– वरिष्ठ आडिट ऑफिसर (आडिट–प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15–थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7– वित्त (आय–व्यय) अनुभाग–1
8– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–12
9– आहरण एवं वितरण अधिकारी।
10– इन्चार्ज, एन0आई0सी नेट सेल, नवीनभवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अखिलेश चन्द्र गुप्ता)
उप सचिव।